न्या०सिविल जज(जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट),अनूपशहर,बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थना पत्र :-71 सन 2026

परिवाद सं. -100 सन 2024

नेत्रवती बनाम पुनीत।

15.06.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त पुनीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवाद सं. -100 सन 2024, अन्तर्गत धारा 498A, 323 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रामघाट, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उउसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, झूंठा फंसाया गया है। अभियक्त ने परिवादिनी से किसी प्रकार के दहेज की कोई मांग नहीं की है। अभियुक्त के कहीं फरार होने का अन्देशा नहीं है। वे उचित जमानत देने को तैयार है। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना एवं प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त पत्रावली में अभियुक्त पर परिवादिनी से दहेज हेतु मारपीट करने एवं दहेज में दो लाख रूपये नकद व एक बड़े टी.वी. की मांग किये जाने का आरोप है। मामला पारिवारिक प्रकृति का है। अभियुक्त परिवादिनी का पति है। उक्त प्रकरण में एक सह-अभियुक्तगण की जमानत दिनांक-31.03.2026 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। **माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित विधि व्यवस्था Satendra kumar antil v. Central Bureau of Investigation 2022& Live Low(SC)577 के आलोक में तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(रुचि भाटी)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
अनूपशहर, बुलन्दशहर।

न्या०सिविल जज(जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट),अनूपशहर,बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थना पत्र :-71 सन 2026

परिवाद सं. -100 सन 2024

नेत्रवती बनाम पुनीत।

<u>07.04.2026</u>

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त पुनीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवाद सं. -100 सन 2024, अन्तर्गत धारा 498A, 323 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रामघाट, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उउसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, झूंठा फंसाया गया है। अभियक्त ने परिवादिनी से किसी प्रकार के दहेज की कोई मांग नहीं की है। अभियुक्त के कहीं फरार होने का अन्देशा नहीं है। वे उचित जमानत देने को तैयार है। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना एवं प्रपत्रों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त पत्रावली में अभियुक्त पर परिवादिनी से दहेज हेतु मारपीट करने एवं दहेज में दो लाख रूपये नकद व एक बड़े टी.वी. की मांग किये जाने का आरोप है। मामला पारिवारिक प्रकृति का है। अभियुक्त परिवादिनी का पति है। उक्त प्रकरण में एक सहअभियुक्तगण की जमानत दिनांक-31.03.2026 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। मामला समझौता हेतु मध्यस्थता केंद्र बुलंदशहर संदर्भित किया जाना आवश्यक है। पक्षकार दिनांक-13.04.2026 को मध्यस्थता केंद्र बुलंदशहर पर उपस्थित हो। पक्षकारों को नियत दिनांक को मध्यस्थता केंद्र पर उपस्थिति हेतु नोटिस जारी हो। **माननीय उच्चतम न्यायाय के द्वारा पारित विधि व्यवस्था Satendra kumar antil v. Central Bureau of Investigation 2022& Live Low(SC)577 के**

आलोक में तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर दिनांक-16.04.2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त नियमित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु दिनांक-16.04.2026 को उपस्थित हो।

(मयंक सिंह) सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०

अनूपशहर, बुलन्दशहर।

JO.CodeU.P3618

न्या०सिविल जज(जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट),अनूपशहर,बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थना पत्र :-71 सन 2026

परिवाद सं. -100 सन 2024

नेत्रवती बनाम पुनीत।

16.04.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त पुनीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवाद सं. -100 सन 2024, अन्तर्गत धारा 498A, 323 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रामघाट, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र संदर्भित किया गया था। सुलह एवं समझौता केंद्र से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र की आख्या के साथ दिनांक-23.04.2026 को पेश हो। **माननीय उच्चतम न्यायाय के द्वारा पारित विधि व्यवस्था Satendra kumar antil v. Central Bureau of Investigation 2022& Live Low(SC)577 के आलोक में तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए** अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर दिनांक-23.04.2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त नियमित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु दिनांक-23.04.2026 को उपस्थित हो।

प्रभारी/सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम०, अनूपशहर, बुलन्दशहर।

न्या०सिविल जज(जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट),अनूपशहर,बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थना पत्र :-71 सन 2026
परिवाद सं. -100 सन 2024
नेत्रवती बनाम पुनीत।

23.04.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त पुनीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवाद सं. -100 सन 2024, अन्तर्गत धारा 498A, 323 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रामघाट, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियुक्त को आज तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। उक्त परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र संदर्भित किया गया था। सुलह एवं समझौता केंद्र में समझौता हेतु दिनांक- 08.05.2026 नियत है। परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र की आख्या के साथ दिनांक-11.05.2026 को पेश हो। अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर दिनांक-11.05.2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त नियमित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु दिनांक-11.05.2026 को उपस्थित हो।

(रुचि भाटी)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
अनूपशहर, बुलन्दशहर।

JO.CodeU.P3588

न्या०सिविल जज(जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट),अनूपशहर,बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थना पत्र :-71 सन 2026

परिवाद सं. -100 सन 2024

नेत्रवती बनाम पुनीत।

11.05.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त पुनीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवाद सं. -100 सन 2024, अन्तर्गत धारा 498A, 323 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रामघाट, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियुक्त को आज तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। उक्त परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र संदर्भित किया गया था। सुलह एवं समझौता केंद्र से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र की आख्या के साथ दिनांक-23.05.2026 को पेश हो। अतः अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर दिनांक-23.05.2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त नियमित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु दिनांक-23.05.2026 को उपस्थित हो।

(रुचि भाटी)

सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०

अनूपशहर, बुलन्दशहर।
JO.CodeU.P3588

न्या०सिविल जज(जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट),अनूपशहर,बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थना पत्र :-71 सन 2026
परिवाद सं. -100 सन 2024
नेत्रवती बनाम पुनीत।

23.05.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त पुनीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवाद सं. -100 सन 2024, अन्तर्गत धारा 498A, 323 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रामघाट, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियुक्त को आज तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। उक्त परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र संदर्भित किया गया था। सुलह एवं समझौता केंद्र से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र की आख्या के साथ दिनांक-02.06.2026 को पेश हो। अतः अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर दिनांक-02.06.2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त नियमित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु दिनांक-02.06.2026 को उपस्थित हो।

(रुचि भाटी)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०

अनूपशहर, बुलन्दशहर।
JO.CodeU.P3588

न्या०सिविल जज(जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट),अनूपशहर,बुलन्दशहर।

जमानत प्रार्थना पत्र :-71 सन 2026
परिवाद सं. -100 सन 2024
नेत्रवती बनाम पुनीत।

02.06.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त पुनीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा परिवाद सं. -100 सन 2024, अन्तर्गत धारा 498A, 323 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रामघाट, जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियुक्त को आज तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। उक्त परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र संदर्भित किया गया था। सुलह एवं समझौता केंद्र से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई है। परिवाद सुलह एवं समझौता केंद्र की आख्या के साथ दिनांक-15.06.2026 को पेश हो। अतः अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर दिनांक-15.06.2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त नियमित जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई हेतु दिनांक-15.06.2026 को उपस्थित हो।

(रुचि भाटी)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०

अनूपशहर, बुलन्दशहर।
JO.CodeU.P3588